

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग)

07752-224426 (O) ,07762-222178 (R) ,07762-226047 (F) E-mail:- dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक / तक.अधि /
प्रति,

2546

/2018/ रायगढ़, दिनांक- 08-10-18

वन परिक्षेत्र अधिकारी
घरघोडा परिक्षेत्र

विषय:-

Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980 Proposed for construction of 765 KV D/C Dharamjaigarh – raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line under three forest Division of Chhattisgarh state for "additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool" area 137.014 ha (Raigarh div area-22.896 ha) - regarding .

संदर्भ:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/एल.एम.-479-173/3217 दिनांक 28.09.2018.
2. आवेदक संस्थान का पत्र क्रमांक/GTTPL/Forest/2018-19/33 दिनांक 3.10.2018

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कोरबा के द्वारा 765 के.व्ही डबल सर्किट धरमजयगढ़ – रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य के लिए पंजीयन क्रमांक – FP/CG/TRANS/35105/2018 आंबटित किया गया है।

प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के नीचे प्रभावित हो रहे वन एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 22.896 हे० में प्रभावित वृक्षों की गणना किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः आप प्रकरण में रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले विद्युत पारेषण लाईन के निर्धारित कारिडोर 67 मीटर चौड़ाई में कुल वृक्षों की गणना करें, तथा विद्युत लाईन बिछाने हेतु प्रत्येक कण्डक्टर बण्डल के नीचे 10-10 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रभावित होने वाले वृक्षों की पृथक से गणना कर गणना पत्रक मय गोश्वारा सहीत इस कार्यलाय में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल

पृ.क्रमांक/तक.अधि/.....
प्रतिलिपि:-

2547

/2018/ रायगढ़/दिनांक- 08-10-18

1. उप वनमण्डलाधिकारी, घरघोडा उपवनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. उप प्रबंधक गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पं.रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग) की ओर सूचनार्थ। आप प्रकरण में उक्त वृक्ष गणना कार्य हेतु परिक्षेत्र अधिकारी घरघोडा परिक्षेत्र के कार्यलाय में सम्पर्क कर वृक्ष गणना का कार्य पूर्ण करावें।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल